

FROM No.III

सहायक कलेक्टर (SDO) फर्क अहमकाम
(नियम 26)
बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

रावाराज खनाम गुलाराम खोरे

किस्म मुकदमा नं. 128 RLR 44 नं. सन्. 2017

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए
24/11/17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खैराम खोरे</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>128 RLR 44</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक <u>13/12/17</u> को पेश हो।</p>	
13/12/17	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी गिना</p> <p>के नोटिस तामिल प्राप्त तामिल उपलब्ध।</p> <p>सम्पन्न जवाबाने कलिडारी नकल उपलब्ध</p> <p>में पधारते हुए है। तलब मित्राल इत्यदि</p> <p>वाक्य कामाती दिनांक <u>02/01/18</u> को पेश हो।</p>	
03/01/18	<p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी गिना</p> <p>वाक्युत तामिल अनुपलब्ध। प्रार्थी वकील</p> <p>ने पत्रावली तामिल पर कलम करिना कलम</p> <p>चाहते है। तलब दिनांक <u>जा 31</u> पत्रावली दिनांक</p> <p><u>12/02/18</u> को पेश हो।</p>	

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

12/02/18

प्रार्थी वहील उपस्थित। विपक्षीयिण वाचुड
 तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की उड
 पक्षीय वदल सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने वलया
 की प्रार्थी को अपने व्यावसायी व्यैली के चाले और
 पक्षे नेधाम स्थापित करवाना आवश्यक है वसलिए
 प्रार्थी को नेधामवनी आवेदन स्वीकार किया जाउर
 नेधामवनी आवेदन किया जावे। अतः प्रार्थी को नेधाम-
 वनी आवेदन स्वीकार किया जाउर तदसीलात वाचुड
 को कमिशनर नियुक्त किया जाला है व आवेदन दिया
 जाला है कि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता किसी
 भी अरु अधिलेख निरिस्त के प्रार्थी के व्यावसायी
 व्यैली की पक्षी नेधामवनी मोडु पर खुलुड जमाउडाउर
 इरे पालना रिपोर्ट जाला होने पर शामिल पत्रावली
 ही पत्रावली जेतल सुमाद डी, डी नम्बर के उम
 ही दाखिल इफ्तार है।


 सहायक कलक्टर (SDO)
 वायव

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 104

दिनांक- 14.2.18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राणाराम पुत्र दयाराम जाति
सुथार निवासी अखे का धड़ा,
नया सोमेसरा तह. बायतु
जिला बाडमेर

1. गुलाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 13
निवासी अखे का धड़ा, नया सोमेसरा
तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 284/17

आदेश

मौजा अखे का धड़ा पटवार हल्का नौसर के खेत खसरा नम्बर 205, 229, 397/206, 402/206 रकबा कमशः 00.09, 05.09, 12.10, 71.01 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(हेताराम चौबान)
सहायक जलपट्टी (SDC)
उपखण्ड अधिकारी-बायतु
दिनांक- 14.2.18

क्रमांक / वाद / 2018 / 105-109
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री राणाराम पुत्र दयाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री गुलाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 13।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

(हेताराम चौबान)
उपखण्ड अधिकारी-बायतु
बायतु